

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी० ए० मिस वाद सं०- 151A/2017-18

मिनी जामुदा बनाम नेहा हेम्ब्रम

दिनांक

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

अभ्युक्ति


16-03-18

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 108 दिनांक 19.01.18 के द्वारा टी० ए० मिस वाद सं० 151A/2017-18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता मिनी जामुदा, पति स्व० रंजीत जामुदा, ग्राम-बलरामपुर, थाना-सरायकेला जिला-सरायकेला-खरसावाँ ने ऋण परिशोध एवं कृषि उपकरण खरीदने हेतु क्रेता नेहा हेम्ब्रम, पति श्री गणेश लामाय, ग्राम-हेस्सा, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

<u>मौजा</u>	<u>थाना न०</u>	<u>खाता न०</u>	<u>खेसरा न०</u>	<u>रकवा</u>
बड़बिल	280	4	136	0.13 एकड़

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के स्वयं के नाम से खरीदा हुआ है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहती है। आवेदिका के हिस्से में 2.82 एकड़ जमीन है, जिसमें से 0.13 एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् 2.69 एकड़ भूमि बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जाति 'हो' है, जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.13 एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
सरायकेला।